Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन	मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना

भैरूलाल	बनाम	जयराज

किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0	नं0 29	सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2023	प्रार्थी ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा रूदडी पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074–2077 के खाता संख्या 190 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1042, 1043, 1045, 1063, 1064, 1065, 1066, 1073, 1074, 1079, 1080, 1082, 1083, 1143, 1144 कुल किता 15 कुल रकबा 2.40 हैक्ट. तथा खाता संख्या 12 के आराजी संख्या 1041, 1047, 1139, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153 कुल किता 10 कुल रकबा 1.02 हैक्ट0 कृषि भूमि का प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रूदडी पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074–2077 के खाता संख्या 190 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1042, 1043, 1045, 1063, 1064, 1065, 1066, 1073, 1074, 1079, 1080, 1082, 1083, [illegible] कुल रकबा 2.40 हैक्ट. तथा खाता संख्या 12 के [illegible] संख्या 1041, 1047, 1139, 1145, 1148, [illegible] कुल किता 10 कुल रकबा 1.02 हैक्ट0 [illegible] मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति [illegible] कब्जे में बिना किसी [illegible] प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायाल[illegible] का स्थगन न हो तो [illegible] मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिका[illegible]	

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर एवं
उप[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:37:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official